बिहार सरकार

BASIC CONCEPT OF RESERVATION
आरक्षण की आधारभूत अवधारणा

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

Principal
Baikunth Teacher's Training College
Amlori, Siwan

BASIC CONCEPT OF RESERVATION
आरक्षण की आधारभूत अवधारणा

सैद्धान्तिक प्रशिक्षण:-

1. संक्षिप्त इतिहास:-

   (i) अनुसूचित जाति/जनजाति को संकल्प संख्या- 9908 दिनांक 13.11.1953 द्वारा नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त है।

   (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति को संकल्प संख्या-14425 दिनांक 23.08.71 द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण प्राप्त है।

   (iii) पिछड़े वर्गों/अतिपिछड़े वर्गों को राज्य स्तर पर नियुक्ति में संकल्प संख्या- 755,756 एवं 757 दिनांक 10.11.1978 द्वारा आरक्षण प्राप्त है।

   (iv) पिछड़े वर्गों/अतिपिछड़े वर्गों को क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति में संकल्प संख्या-147 दिनांक 21.10.1990 द्वारा आरक्षण प्राप्त है।

   (v) पिछड़े वर्गों/अतिपिछड़े वर्गों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हैं

2. भारत संविधान में प्रावधान :

   (I) आरक्षण का प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त है, भारत संविधान की धारा 16 (4) में आरक्षण संबंधी प्रावधान है। अनुसूचित जाति को संविधान की धारा-341 के तहत तथा अनुसूचित जनजाति को संविधान की धारा 342 के तहत आरक्षण का प्रावधान है।

   (ii) महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन :-

   (क) संविधान (77वाँ संशोधन) अधिविभाग, 1995 (17.6.95)- इसके अनुसार राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

बिहार अधिनियम 3/1992 एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम (17/2002) के आलोक में पदोन्नति में अनुसूचति जाति / जनजाति को आरक्षण देय है।

(ख) संविधान (81वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 (9.6.2000)- इसके अनुसार बैकलॉग/कैरीफारवर्ड रिक्तियाँ अलग समूह की मानी जाएगी, जो चालू रिक्ति से अलग होगी तथा उन पर 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा का प्रावधान लागू नहीं होगा।

बिहार अधिनियम-13/2004 के द्वारा उक्त प्रावधान राज्याधीन सेवाओं में लागू है।

(ग) संविधान (82वाँ संशोधन) अधिनियम, 2000:- इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पूर्व माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप 1997 में इस छूट को वापस ले लिया गया था। विभागीय संकल्प संख्या - 15838 दिनंक 22.12.1990 एवं 10258 दिनांक 02.08.91 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु Minimum Qualifying Marks का प्रावधान किया गया है।

(घ) संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 (w.e.f. 17.6.95):- राज्य की सेवाओं में इस संविधान संशोधन के तहत निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति में अपनी वरीयता बनाए रखेंगे। दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत बाद में प्रोन्नत सामान्य/पिछड़ा, अतिपिछड़ा वर्ग के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के तहत् पहले प्रोन्नति पाए अनुसूचित जाति/जनजाति के सरकारी सेवक से कनीय होंगे।

विभागीय संकल्प संख्या 213 दिनांक 7.6.2002 द्वारा दिनांक 17.6.95 के प्रभाव से उक्त प्रावधान को लागू किया जा चुका है।

3. बिहार अधिनियम में प्रावधान:-

पूर्व से सरकारी सेवाओं में चले आ रहे आरक्षण प्रावधान को कुछ नये प्रावधानों के साथ समेकित कर वर्ष 1992 में बिहार सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी अधिनियम पहली बार अधिनियमित किए गए। यथास्थिति आज तक उक्त अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :-

(i) **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण** (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 बिहार अधिनियम 3/1992 (मूल अधिनियम)

(ii) **बिहार अधिनियम 11/1993**- इसके द्वारा गैर आरक्षित/आरक्षित श्रेणियों की अलग से (3/92 से अलग) व्याख्या की गई, जो आज तक लागू है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान

भी इसके द्वारा किए गए।

(iii) **बिहार अधिनियम 07/1994**- इसके द्वारा जिलों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हुए ''खरवार''/''खोन्द''/''बंजारा''/''भुइया''/ बेदिया जातियों को सदा से अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) से विलोपित किया गया तथा भाट (हिन्दू) को पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में जोड़ा गया।

(iv) **बिहार अधिनियम 6/1996** - इसके द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची-1) में 'अमात', चुड़ीहार (मुस्लिम), प्रजापति (कुम्हार), राईन या कुंजरा (मुस्लिम), सोयर जातियों को जोड़ा गया तथा पिछड़ा वर्ग की सूची (अनुसूची-2) में - ''कसौधन'' जोड़ा गया एवं इसी सूची में अमात, चुड़ीहार (मुस्लिम) प्रजापति (कुम्हार), राईन या कुंजरा (मुस्लिम) को विलोपित किया गया।

इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा-14 अ के रूप में) अधिनियम की अनुसूची-1 एवं 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति के रूप में किया गया :- पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनसूची-1 अथवा अनुसूची-2 में किसी जाति/वर्ग को यथास्थिति जोड़ या हटा सकेगी।

(v) **बिहार अधिनियम 17/2002** :- बिहार विभाजन के पश्चात उत्तरवर्ती बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति में नए सिरे से आरक्षण प्रतिशत का निर्धारण उक्त अधिनियम द्वारा निम्न रूपेण किया गया:-

अनुसूचित जाति-	16%
अनुसूचित जनजनति-	01%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ण (अनुसूची-1)-	18%
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)-	12%
पिछड़ा वर्ग की महिला-	03%
अनारक्षित वर्ग-	50%
कुल	100%

(vi) **बिहार अधिनियम 15/2003**:- इस अधिनियम के तहत् निम्नांकित दो प्रावधान है:-

(क) **बिहार अधिनियम-3/1992 की धारा-3** का संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान किए गए हैं:- आतंकवादी/जातीय अनबन या सांप्रदायिक दंगा/ निर्वाचन संबंधी हिंसा/ अन्य हिंसक घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों में यह

अधिनियम लागू नहीं होगा अर्थात ऐसे मामलों की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम बाधक नहीं बनेगा।

(ख) **सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 70** दिनांक 11.06.1996 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवाओं में राज्य में मूलवासी को ही आरक्षण देय होगा। उक्त प्रावधान को बिहार अधिनियम-15/2003 द्वारा दिनांक 11.06.96 के प्रावधान से अधिनियमित करते हुए बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा-4 में प्रावधान किया गया है। ''परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।''

(vii) **बिहार (शैक्षिणक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम-2003** बिहार अधिनियम 16/2003 :- राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों यथा सामान्य, तकनीकी, गैर-तकनीकी, व्यावसायिक आदि में नामांकन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का निम्नवत् उपबंध किया गया है:-

अनुसूचित जाति-	16%
अनुसूचित जनजाति-	01%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)-	18%
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)-	12%
पिछड़ा वर्ग की महिला-	03%
अनारक्षित वर्ग-	50%

	100%

(viii) **बिहार अधिनियम-13/2004** :- 81वाँ संविधान संशोधन के आलोक में इस अधिनियम द्वारा निम्न प्रावधान किए गए है:-

''परन्तु बैकलॉग और कैरीफारवर्ड रिक्तियाँ पृथक एवं विशेष वर्ग की मानी जाएगी तथा उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ, जिसमें उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर 50% आरक्षण की सीमा भी निश्चित करने के लिए भरी जाने वाली हो, विचारण नहीं किया जाएगा। दूसरें शब्दों में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा मात्र चालू वर्ष के दौरान, जिसमें रिक्तयों को भरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही हो, होने वाली रिक्तियों पर ही लागू होगी तथा आरक्षित वर्गों से संबंधित पूर्व के वर्षों की बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड रिक्तियाँ पृथक और विशेष वर्ग के रूप में मानी जाएगी तथा आरक्षण की अधिकतम सीमा से छूट प्राप्त होगी।''

Principal
Baikunth Teacher's Training College
Amlori, Siwan

Scanned with OKEN

4. **संकल्प के माध्यम से प्रावधानः-**

राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत एवं महत्वपूर्ण निर्णय संकल्प के माध्यम से किए जाते हैं। आरक्षण विषयक संकल्प में अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित/ निष्कासन संबंधी संकल्प, क्रीमीलेयर संबंधी संकल्प, विकलांगों (Persons with disability) से संबंधित, संकल्प, स्क्रूटनी कमिटि संबंधी संकल्प आदि प्रमुख है।

5. **क्रीमीलेयर संबंधी प्रावधान** :- केन्द्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए एक सूची है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार राज्य के स्तर पर पिछड़े वर्गों की दो सूचियाँ हैं, अत्यन्त पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची-I) तथा पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची-II)।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लाभ हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।। इसके बिना उक्त समुदाय के सदस्यों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। बिहार सरकार के स्तर पर भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित क्रीमीलेयर संबंधी प्रावधानों को ही अपनाया गया है, जिसके अनुसार उन व्यक्तियों को पुत्र पुत्रियों, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये अथवा उससे अधिक है, को क्रीमीलेयर में रखते हुए आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्गत किए जाते हैं (मूलतः परिपत्र संख्या-246 दिनांक 9.06.2004 एवं 7808 दिनांक 25.11.2008 द्रष्टव्य)।

6. **विकलांगों से संबंधित प्रावधानः-**

विकलांगो को आरक्षण संबंधी पूर्व के प्रावधानों का ब्योराः-

(i) संकल्प संख्या-347 दिनांक 7.6.86 राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता एवं प्रमंडल तथा ज़िला स्तरीय पदों पर नियुक्ति में 3% आरक्षण की व्यवस्था।

(ii) संकल्प संख्या-147 दिनांक 21.11.90- ज़िला एवं प्रमंडल स्तर की नियुक्तियों में 3% आरक्षण की सुविधा।

(iii) बिहार अधिनियम-3/1992 (मूल आरक्षण अधिनियम) द्वारा विकलांगों के लिए आरक्षण/प्राथमिकता की सुविधा नहीं दी गई।

(iv) अधिसूचना संख्या-152 दिनांक 13.12.1993 :- प्रमंडल एवं ज़िला स्तरीय नियुक्ति में 3% प्राथमिकता।

(v) विकलांग व्यक्ति अधिनियम - 1995 के तहत् संकल्प संख्या 251 दिनांक 18.11.2000 द्वारा विकलांगों को नियुक्ति में सभी स्तर की सेवाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा-33 के तहत् राज्य सरकार के सभी विभागों/ कार्यालयों/ राजकीय लोक उपक्रमों/नियमों/निकायों/बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं है। चयनित विकलांग जिस कोटा के होंगे, उनका सामंजन उसी कोटा के विरूद्ध होगा। यह आरक्षण quota under quota अर्थात Horizantal आरक्षण है। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित है:-

(a) उम्मीदवार की विकलांगता 40% से कम नहीं होना चाहिए।

(b) रोस्टर बिन्दु 1 से 33 तक- 1 पद - दृष्टि नि:शक्तता हेतु।
रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक- 1 पद - मूक बधिर नि:शक्तता हेतु।
तथा रोस्टर बिन्दु 68 से 100 तक- 1 पद- चालन नि:शक्तता हेतु।
(संकल्प संख्या-62 दिनांक 5.1.2007 द्रष्टव्य)।

(c) आयु सीमा में छूट:- प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिकतम 10 वर्षों तथा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 5 वर्षों की छूट है। (संकल्प संख्या 62 दिनांक 5.1.2007 द्रष्टव्य)

(d) विकलांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अहर्त्तांक 32% निर्धारित है। इसी क्रम में नियुक्ति/अनुशंसी पदाधिकरी यथास्थिति मानदंडों में भी छूट दे सकते है। (परिपत्र संख्या-6708 दिनांक 01.10.2008 द्रष्टव्य)

(e) दृष्टिहीनों को लेखक भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसे 100/- प्रतिपाली की दर से पारिश्रमिक भुगतान का भी प्रावधान है। यह भुगतान परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। (परिपत्र संख्या-3433 दिनांक 09.10.2007 द्रष्टव्य)

(f) दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय-सीमा के साथ-साथ प्रति घंटा 15 मिनट के दर से न्यूनतम 15 मिनट तथा अधिकतम् 45 मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान है (परिपत्र संख्या- 3433 दिनांक 09.10.2007 द्रष्टव्य)

7. **जाली जाति प्रमाण-पत्र के संदर्भ में स्क्रूटनी कमिटि संबंधी प्रावधाान :-**

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-5854/94, कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजाति (आदिवासी) विकास एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय के आलोक में अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु

Scanned with OKEN Scanner

निदेशालय का गठन किया गया है। इसके तहत सामान्य समिति एवं निगरानी समिति है। किसी कर्मी विशेष की जाति प्रमाण-पत्र के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों की जाँच हेतु अभिलेखों की माँग संबंधित जिला पदाधिकारी से की जाती है, तदुपरान्त प्रक्रियात्मक रूप से निगरानी समिति एवं अंत में सामान्य समिति, जिसके अध्यक्ष तात्कालीन आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त/प्रभारी सचिव, कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) होते है, से जाँच करायी जाती है। इस निमित संकल्प संख्या 3887 दिनांक 8.11. 2007 द्वारा स्क्रूटनी समिति गठित है।

8. **जाति, आय, आवास प्रमाण-पत्रों संबंधी प्रावधान:-**

इस क्रम में सामान्य विभाग के संकल्प संख्या 673 दिनांक 8.3.2011 द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो - सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट- www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश के **साथ-साथ प्रमाण**-पत्रों की वैद्यता की सीमा भी निर्धारित है, जो निम्नवत् है :-

जाति प्रमाण-पत्र- सामान्यतया जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता की कोई सीमा नहीं होगी।

आय प्रमाण-पत्र- आय प्रमाण-पत्र हेतु आय का आंकलन गत वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष की अवधि तक वैद्य रहेगा।

आवास प्रमाण-पत्र- सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाण-पत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक होगी। स्थायी आवास प्रमाण-पत्र की वैद्यता की कोई सीमा नहीं होगी।

9. **अन्य महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश संबंधी जानकारी:-**

आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र/संकल्प आदि।

क्र0	आदेश/परिपत्र/संकल्प संख्या	विषय
1	19629 दिनांक 04.10.1974	सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्ति को प्रोन्नति समझना और इस पर आरक्षण लागू होना। इसे न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया है।
2	20165 दिनांक 08.11.1978	बिहार विभाजन के पूर्व प्रोन्नति संबंधी मॉडल रोस्टर।
3	756 दिनांक 10.11.1975	पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रारम्भ।
4	349 दिनांक 19.07.1985	रोस्टर पंजी संधारण हेतु फारमेट।
5	117 दिनांक 30.09.1995	सभी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरा होने पर रोस्टर संचालन स्थगित।
6	70 दिनांक 11.06.1996	दिनांक 11.06.96 से राज्य से बाहर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देना है।
7	251 दिनांक 18.10.2000	विकलांगों का 3% आरक्षण की व्यवस्था।
8	329 दिनांक 04.07.2001	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी
9	154 दिनांक 08.07.2001	क्रीमीलेयर को आरक्षण से अलग रखना।
10	210 दिनांक 04.06.2002	नामांकन में विकलांगों के लिए आरक्षण।
11	213 दिनांक 07.06.2002	अनुसूचित जाति/जनजाति की परिणामी वरीयत (85वाँ संविधान संशोधन)
12	1800 दिनांक 09.06.2001	कालावधि का निर्धारण।
13	458 दिनांक 30.09.2002	शेष बिहार हेतु मॉडल रोस्टर।

E-mail : bttcollegesiwan@gmail.com
www.baikunthteacherstraining.com

BAIKUNTH TEACHERS TRAINING COLLEGE

Amlori, Siwan (Bihar), Pin-841226

Registered Under Section 2(f) & 12(B), UGC Act 1956

NAAC Accredited with "B" Grade

Affiliated to Jai Prakash University, Chapra, Recognized by NCTE (ERC Bhubaneshwar)
Mobile No. : 9431011261, 9128204500, Land Line : 06154297298

Run and Managed by : Maa Vindhyavasini Shiksha Nayas (Reg.) Nai Basti Malviya Nagar, Siwan

Ref. No.—— Date.....

बैकुण्ठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अमलोरी, सीवान बिहार सरकार आरक्षण अधिनियम–2003 के अन्तर्गत उक्त आरक्षण नीति (Reservation policy) का अनुपालन किया जाता है जिसकी प्रति संलग्न है।

(डॉ श्याम शंकर पाण्डेय)

प्राचार्य

Principal
Baikunth Teacher's Training College
Amlori, Siwan